रजिस्टर्ड नं० पी०/एच० एम० 14.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, 17 जुलाई, 1982/26 आषाढ़, 1904

हिमाचल प्रदेश सरकार

खाद्य एवं आपूर्ति विभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 25 जून, 1982

संख्या एफ० डी० एस० ए (3)-2/77.—आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का अधिनियम 10) की धारा 3 के अन्तर्गत तथा जी० एस० आर० 800, दिनांक 9 जून, 1978 को पढ़ते हुए जोकि भारत सरकार कृषि एवं सिंचाई मन्त्रालय (खाद्य विभाग) द्वारा जारी किया गया है के द्वारा दी गई प्रदत्त शक्तियों तथा इस सम्बन्ध में सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश "हिमाचल प्रदेश कामोडिटीज प्राईज़ मार्किंग एण्ड डिस्पले आर्डर, 1977" जोकि हिमाचल प्रदेश असाधारण राजपत्र के अंक दिनांक 9 अगस्त, 1977 को

इस विभाग की समसंख्या दिनांक 5-8-1977 द्वारा प्रकाशित हुआ था में निम्नलिखित संशोधन का सहर्ष आदेश देते हैं :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इस आदेश का नाम हिमाचल प्रदेश कामोडिटीज प्राईज़ मार्किंग एण्ड डिस्प्ले (तृतीय संशोधन) आदेश, 1982 होगा।

(2) यह आदेश तुरन्त लागू माना जायेगा।

3. In paragraph 2 of the Himachal Pradesh Commodities Price Marking and Display Order, 1977, (hereinafter called the said order),—

(*i*) In clause (*d*) after the word "amount" but before the word "money" the word "of" shall be inserted;

(*ii*) in clause (*f*) after the words and sign "Sub-Inspector (Food and Supplies)" but before the word "and" the word "within their respective Jurisdiction" shall be inserted;

(*iii*) in clause (*g*) the words "in the District" appearing at the end shall be substituted by the words "within their respective jurisdiction."

4. In second proviso of sub-paragraph (2) of paragraph 3 of the said order after the word "schedule" but before the word "display" the sign "," shall be inserted.

5. In paragraph 3 of the said order at the end the following provisos shall be added:—

Provided further that prices printed on the packages covered under the Standards of Weights and Measures Packaged Commodities Rules, 1977, need not be displayed; if the ultimate retail price including takes has been written on the packaged commodities:

Provided further that the price list will be dated and no price list will be valid for more than one calendar month.

आदेशानुसार,
एस0 एम0 कंवर,
आयुक्त एवं सचिव।

उद्योग विभाग

अधिसूचनाएं

शिमला-171002, 29 जून, 1982

संख्या इण्ड-छ(एफ)12-35/78.—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि गांव मगरोट, तहसील सदर, जिला बिलासपुर की भूमि रकबा तादादी 64-8 बीघा खसरा नं0 1/1 को पट्टे पर खनन कार्य हेतु दिया जाना अपेक्षित है।

और यतः पहले यह रकबा श्रीयुत जे0 सी0 लाईन वर्कर्ज एसोसिएशन, गांव शाथल, डाकखाना वीरगढ़, जिला शिमला को चूना पत्थर खनन हेतु पट्टे पर दिया गया था तथा उक्त पार्टी द्वारा खनन पट्टे की अनेक धाराओं का उल्लंघन करने के इवज में पट्टा रद्द किया गया था;

और यतः उक्त क्षेत्र अब माईन्ज तथा मिनरल्स (रेगुलेशन एवं डिवैल्पमैण्ट) ऐक्ट, 1957 एवं मिनरल कनसैशनज रूल्ज, 1960 के अन्तर्गत खनन पट्टे पर दिए जाने हेतु उपलब्ध है ।

अतः यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए मिनरल कनसैशनज रूल्ज, 1960 के नियम 59 (1) (ए) (ii) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुसार जारी की जाती है ।

यदि कोई व्यक्ति उक्त क्षेत्र को खनन कार्य हेतु उक्त नियमों के अधीन लेने का इच्छुक हो तब वह आयुक्त एवं सचिव (उद्योग), हिमाचल प्रदेश सरकार को राज्य भू-वैज्ञानिक हिमाचल प्रदेश, शिमला-171002 के माध्यम से इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने के तीस दिन के पश्चात् अपना आवेदन-पत्र दे सकता है ।

शिमला-171002, 1 जुलाई, 1982

संख्या 14-34/75-एस0 आई0 (एम0एन0).—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि गांव कन्सार, तहसील पावंटा साहिब, जिला सिरमौर की भूमि रकबा तादादी 55 बीघा 4 बिस्वा को पट्टे पर खनन कार्य हेतु दिया जाना अपेक्षित है ;

और यतः पहले यह रकबा श्री नलीन शर्मा मारफत हरदेव सिंह एण्ड कम्पनी, बद्रीनगर पावंटा साहिब को चूना पत्थर खनन हेतु पट्टे पर दिया गया था तथा उक्त व्यक्ति द्वारा खनन पट्टे की अनेक धाराओं का उल्लंघन करने के इवज में पट्टा रद्द किया गया था ;

और यतः उक्त क्षेत्र अब माईन्ज तथा मिनरल्स (रेगुलेशन एवं डिवैल्पमैंट) ऐक्ट, 1957 एवं मिनरल कनसैशनज रूल्ज, 1960 के अन्तर्गत खनन पट्टे पर दिए जाने हेतु उपलब्ध है ।

अतः यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए मिनरल कनसैशनज रूल्ज, 1960 के नियम 59 (1) (ए) (ii) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुसार जारी की जाती है ।

जो भी व्यक्ति उक्त क्षेत्र को खनन कार्य हेतु उक्त नियमों के अधीन लेने का इच्छुक हो वह आयुक्त एवं सचिव (उद्योग), हिमाचल प्रदेश सरकार को राज्य भू-वैज्ञानिक, हिमाचल प्रदेश, शिमला-171002 के माध्यम से इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने के तीस दिन के पश्चात् अपना आवेदन-पत्र दे सकता है ।

शिमला-2, 2 जुलाई, 1982

संख्या इण्ड-एफ-12-(5)/75-एम0 एम0.—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि गांव मन्धलाना, तहसील पावंटा साहिब, जिला सिरमौर में स्थित भूमि रकबा तादादी 50 एकड़ को पट्टे पर खनन कार्य हेतु दिया जाना अपेक्षित है,

और यतः पहले यह रकबा श्रीयुत बख्शी देश राज भसीन एण्ड सन्ज, मकान नं0 3172, सैक्टर 21-जी, चण्डीगढ़ को चूना पत्थर खनन हेतु पट्टे पर दिया गया था तथा उक्त पार्टी द्वारा खनन पट्टे की अनेक धाराओं का उल्लंघन करने के इवज में पट्टा रद्द किया गया था ;

और यतः उक्त क्षेत्र अब माईन्ज एण्ड मिनरल्स (रेगुलेशन एवं डिवैल्पमैंट) ऐक्ट 1957 एवं मिनरल कनसैशनज रूल्ज, 1960 के अन्तर्गत खनन पट्टे पर दिये जाने हेतु उपलब्ध है ।

अतः यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए मिनरल कनसैशनज रूल्ज, 1960 के नियम 59(1) (ए) (ii) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुसार जारी की जाती है।

जो भी व्यक्ति उक्त क्षेत्र को खनन कार्य हेतु उक्त नियमों के अधीन लेने का इच्छुक हो वह आयुक्त एवं सचिव (उद्योग), हिमाचल प्रदेश सरकार को राज्य भू-वैज्ञानिक, हिमाचल प्रदेश, शिमला-2 के माध्यम से इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने के तीस दिन के पश्चात् अपना आवेदन-पत्र दे सकता है।

शिमला-2, 2 जुलाई, 1982

संख्या इण्ड-एफ-(12)-17/75-एम0एम0.—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि गांव कंजोटा, तहसील सदर, जिला बिलासपुर की भूमि रकबा तादादी 32 एकड़, जो खसरा नं0 131, 146/132 एवं 147/132 में स्थित है, को पट्टे पर खनन कार्य हेतु दिया जाना अपेक्षित है ;

और यतः पहले यह रकबा श्री मनमोहन शर्मा, 15/3 जी0 डी0 रोड़ कुड़ली, जिला सोनीपत को चूना पत्थर खनन हेतु पट्टे पर दिया गया था तथा उक्त व्यक्ति द्वारा खनन पट्टे की अनेक धाराओं का उल्लंघन करने के इवज में पट्टा रद्द किया गया था ;

और यतः उक्त क्षेत्र अब माईन्ज तथा मिनरलस (रेगुलैशन एवं डिवैलपमैंट) ऐक्ट, 1957 एवं मिनरल कनसैशनज रूल्ज, 1960 के अन्तर्गत खनन पट्टे पर दिये जाने हेतु उपलब्ध है।

अतः यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए मिनरल कनसैशनज रूल्ज, 1960 के नियम 59 (1)(ए)(ii) के अन्तर्गत प्रदत शक्तियों के अनुसार जारी की जाती है।

जो भी व्यक्ति उक्त क्षेत्र को खनन कार्य हेतु उक्त नियमों के अधीन लेने का इच्छुक हो वह आयुक्त एवं सचिव (उद्योग), हि0 प्र0 सरकार को राज्य भू-वैज्ञानिक हिमाचल प्रदेश शिमला-171002 के माध्यम से इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने के तीस दिन के पश्चात् अपना आवेदन-पत्र दे सकता है।

आदेश द्वारा,
राजेन्द्र कुमार आनन्द,
आयुक्त एवं सचिव।

श्रम विभाग

अधिसूचनाएं

शिमला-171002, 5 जुलाई, 1982

संख्या 8-12/81-श्रम.—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि लोक हित में यह अपेक्षित है कि इण्डियन आयल कारपोरेशन के उद्योग जो पैट्रोलियम पदार्थों के बनाने लाने तथा वितरण के कार्यरत हैं, की सेवाओं को औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का अधिनियम संख्या 14) की प्रथम सूची के अन्तर्गत आती हैं, को उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु, जन उपयोगी सेवाएं घोषित किया जाना चाहिए ;

और यत: उक्त सेवाएं अधिसूचना संख्या 8-12/81-श्रम, दिनांक 4 मार्च, 1982 द्वारा छ: (6) मास तक जन उपयोगी सेवाएं घोषित की गई थीं ;

और यत: राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि लोक हित में यह अपेक्षित है कि उक्त सेवाओं का जन उपयोगी सेवाकाल अगले छ: (6) महीनों तक घोषित करना अनिवार्य है।

अत: औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 की अधिनियम संख्या 14) की धारा 21 खण्ड (एन) के उप-खण्ड (VI) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल एतद्द्वारा हिमाचल प्रदेश में पैट्रोलियम पदार्थों को बनाने, लाने, ले जाने तथा वितरण के कार्य में लगे उक्त उद्योग को उक्त सेवाओं का जन उपयोगी सेवा घोषित काल उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु अगले छ: (6) मास की अवधि तक के लिए महर्ष तुरन्त घोषित करते हैं।

शिमला-171002, 5 जुलाई, 1982

संख्या 8-12/81-श्रम.—यत: हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि लोक हित में यह अपेक्षित है कि हिमाचल पथ परिवहन निगम की सेवाओं जो कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का अधिनियम संख्या 14) की प्रथम अनुसूची के अन्तर्गत आती है, को उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु जन उपयोगी सेवाएं घोषित किया जाना चाहिए ;

और यत: उक्त सेवाएं अधिसूचना संख्या 8-12/81-श्रम, दिनांक 2 दिसम्बर, 1981 द्वारा 6 महीनों के लिए जन उपयोगी सेवाएं घोषित की गई थी ;

और यत: राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि लोक हित में यह अपेक्षित है कि उक्त सेवाओं का जन उपयोगी सेवा काल छ: महीने तक घोषित करना अनिवार्य है।

अत: औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का अधिनियम सं0 14) की धारा 2 के खण्ड (एन) के उप-खण्ड VI के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम की उक्त सेवाओं को जन उपयोगी सेवाकाल उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु छ: मास तक की अवधि के लिए तुरन्त घोषित करते हैं।

आदेशानुसार,
हस्ताक्षरित/-
सचिव ।

TRANSPORT DEPARTMENT

CORRIGENDUM

Simla-2, the 25th June, 1982

No. 1-1/79-(Parivahan).—Please *read* Shri "Babu Ram Asra" *in place* of Shri Babu Ram appearing in this Department notification of even number dated the 16th April, 1982.

R. K. ANAND,
Secretary.

WELFARE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Simla-2, the 2nd July, 1982

No. **Kalyan-Ch(10)-8/80.**—The Governor, Himachal Pradesh in supersession of this department notification of even number, dated 28-3-1981 is pleased to order that besides the Scheduled castes and Scheduled Tribes who are separately enjoying certain privileges, the other Backward Classes shall include—

(*a*) All residents of Himachal Pradesh whose family income is less than Rs. 5000/- per annum irrespective of the fact as to whichever castes or community or class they belong to and whatever profession they are following.

(*b*) Besides the above category, persons belonging to the following communities having a family income of not more than Rs. 7,500/- per annum shall also be considered backward in the State. Castes professing any religion other than Scheduled Castes/Scheduled Tribes.

(A) *Throughout the Pradesh* :

1. Aheri, Ahori, Heri, Naik, Thori, Turi
2. Ard pop
3. Beda
4. Bahti
5. Bata, Hensi, or Hosi
6. Bagria
7. Batoerha
8. Baragi, Bairagi
9. Bharbunha, Bharbhuja
10. Bhat, Bhatta, Darpi
11. Bhuhalia
12. Chang
13. Changar
14. Chirimar
15. Dhimar
16. Dhosali, Dosal
17. Daiya
18. Faquir
19. Ghirath including Chang and Bhati
20. Ghasi, Ghasiara or Ghosi
21. Gorkha
22. Ghai
23. Gowala, Gwala
24. Gadaria
25. Gawaria, Gauria, or Gwar
26. Hajam
27. Jhinwar or Dhinwar
28. Keshap Rajput
29. Kahar
30. Kumhar
31. Kangehra
32. Kanjarokanchan
33. Kurmi
34. Labana
35. Mahatam
36. Madari
37. Mirasi
38. Mallah
39. Mehra
40. Nai (Kuleen Brahman)
41. Naiband
42. Nar
43. Pinja, Panja
44. Roolband
45. Soi
46. Thawins
47. Vanzara

(B) *In merged area only*:

1. Keer
2. Gaddi
3. Gujjar

2. The above categories of Class/Communities in Himachal Pradesh will be entitled to the following facilities/concessions:

(*i*) Pre-matric stipends at Primary, Middle, Higher Secondary stages.
(*ii*) Interest free loans; and
(*iii*) Reservation in service as determined by the Government from time to time;

A. N. VIDYARTHI,
Secretary.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित ।